भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3882
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>वैश्विक नवीकरणीय विद्युत क्षमता को तिगुना किया जाना</u>

3882. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने भारत सहित विभिन्न देशों से वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय विद्युत क्षमता को तिगुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की वार्षिक दर को दोगुना करने के लक्ष्य के संबंध में वर्ष 2030 तक कार्रवाई हेतु समर्थन देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2030 तक आईईए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रस्ताव किए जाने हेतु कार्य योजना क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) वर्ष 2023 के लिए भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत, जी-20 के सदस्य, अन्य के साथ-साथ, वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप मौजूदा लक्ष्यों और नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। उन्होंने वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने पर स्वैच्छिक कार्य योजना को भी स्वीकार किया।

इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने "वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लिए जी-20 रोडमैप" पर एक अध्ययन तैयार किया।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की है। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उजाला, मानक और लेबलिंग (एसएंडएल), ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी), इको निवास संहिता (ईएनएस), एम1 श्रेणी के वाहनों (जीवीडब्ल्यू < 3500 किलोग्राम) के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानदंडों में संशोधन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और प्रचालन के लिए दिशानिर्देश - 2024 जैसी विभिन्न पहल की हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा खपत से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने वाली व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए भारतीय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया गया है, जिसमें 800 से अधिक ऊर्जा गहन उद्योगों को इकाई-वार लक्ष्य सौंपे जा रहे हैं।

<u>अनुलग्नक</u>

'वैश्विक नवीकरणीय विद्युत क्षमता को तिगुना किया जाना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3882 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए भारत सरकार ने उद्योग, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए ट्रैजेक्ट्री की अधिसूचना जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने (गुजरात और तमिलनाडु के अपतट पर प्रत्येक 500 मेगावाट) 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और चालू करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) को अनुमोदन दिया है।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटील पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" की अधिसूचना जारी की गई है।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए 3000 मेगावाट प्रति वर्ष की क्षमता के लिए संविदाएं आवंटित की गई हैं/प्रक्रियाधीन हैं।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 4,12,000 टन प्रति वर्ष के लिए क्षमता आवंटित की गई है।

*****